



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234734
CG-DL-E-31032022-234734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1487]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944

No. 1487]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

का.आ. 1548(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री पंकज जैन के स्थान पर, श्री सुचिन्द्र मिश्रा, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक भारतीय निर्यात - आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 9/1/2022-आईएफ-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

S.O. 1548(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (i) of Clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Export Import Bank of India Act, 1981 (No. 28 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri Suchindra Misra, Additional Secretary, Department of Financial Services, as Director on the Board of Export Import Bank of India (Exim Bank) vice Shri Pankaj Jain with immediate effect and until further orders.

[F. No. 9/1/2022-IF-I]

LALIT KUMAR, Economic Adviser